UPPG010046062026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रतापगढ़।

पीठासीन अधिकारी–अंकिता दुबे (एच०जे०एस०) जे०ओ० कोड–UP 1713

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1863/2026

कुलदीप आयु करीब 23 वर्ष सुत सुबेदार निवासी ग्राम नादी, थाना–पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ उ०प्र० ।

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...अभियोगी

मु०अ०सं०–34/2025
धारा– 137(2),87,123 बी.एन.एस.
थाना–पट्टी, जिला–प्रतापगढ़।

दिनांक–08.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **कुलदीप** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–34/2025, धारा– 137(2),87,123 बी.एन.एस.,थाना–पट्टी, जिला–प्रतापगढ़ के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–12.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थिनी शर्मिला देवी पत्नी प्रवीण कुमार ग्राम नादी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ की मूल निवासिनी है। उसकी पुत्री नैन्सी जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की है कल शाम 7 बजे उसके ग्राम के कुलदीप पुत्र सूबेदार उक्त लडकी को बहला फुसलाकर कहीं लेकर चला गया है। आज दिनांक 05.02.2025 को सूचना मिली कि कुलदीप उपरोक्त उसकी लडकी नैन्सी को कहीं ले जाने के लिये उपाध्यायपुर के पास खड़े है वह अपने गांव के सूबेदार सरोज व बरसाती को लेकर उपाध्यायपुर के पास पहुँची तो कुलदीप उसकी लडकी को छोडकर भागने लगा जिसे वह उसके साथ के लोगो के सहयोग से कुलदीप को समय करीब 11 बजे दिन में पकड लिया। कुलदीप व अपनी लडकी नैन्सी को थाने में ले आई थी। अन्त में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की याचना की गयी है।

3. **जमानत प्रार्थना पत्र** में यह आधार लिया गया है कि सी डी–1 में बयान पीड़िता धारा–180 बीएनएसएस अपनी उम्र 19 वर्ष बता रही है और पीड़िता ने यह भी बताया है कि मैं दिनांक 04.02.2025 को शाम 7.00 बजे अपने दीदी (क) के फोन से कुलदीप को फोन किया और बोली कि मुझे आज अपने साथ ले चलो नहीं तो कलमेरी मॉ मुझे मुम्बई लेकर चली जायेगी। और वहीं मेरी शादी कर देगी। तब कुलदीप ने हाँ कर दिया तो मैं अकेली घर से निकल कर चली आयी और गांव के बाहर कुलदीप से मैं मिली और कुलदीप के साथ चली गयी। पीड़िता अपने बयान धारा 183 बी एन.एस.एस. में कहा है कि घटना दिनांक 04.02.2025 की शाम 7.00 बजे की है। मैं लैट्रिन गई थी वहाँ कुलदीप और राजेन्द्र गाडी लेकर खड़े थे मुझे बुलाये तो मैं चली गई। मेरा मुंह दबाकर खींचकर मुझें गाड़ी में बैठा लिए। पीड़िता की उम्र एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर 18 वर्ष बताई गई जबकि पीड़िता की उम्र 10 वर्ष हैं और पीड़िता ने स्वयं अपनी उम्र 19 वर्ष अपने धारा–180 बी एन एस एस के बयान में बताई है जो पूर्ण रूप से बालिग है। पीड़िता के बयान 180 बी एन एस एस व बयान 183 बी एन एस एस से स्पष्ट है कि पीड़ता ने स्वयं प्रार्थी

Digitally signed by ANKITA DUBEY
Date: 2026.07.08 15:41:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

/अभियुक्त को बुलाया था और घर वालों (माता–पिता) के कहने पर बयान 183 बीएनएसएस में बयान बदल दिया और कुलदीप को झूठा फंसा दिया है। सीडी 10 पेज 03 में चश्मदीद साक्षी अंकित कुमार ने और पीड़िता को जब ले जा रहे थे तब वह लेकिन मुह दबाने की बात नहीं कही थी और पीड़िता का सगा भाई राजन भी था इसके बावजूद पीड़िता क्यों नहीं चिल्लाई। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलांवा प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा किसी अन्य सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में न तो प्रस्तुत किया है न तो निरस्त हुआ है। अतः जमानत पर रिहा किया जाये।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में यह कथन किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। फर्जी तरीके उसे अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया है।

5. जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा उर्मिला देवा को बहलाफुसला कर भगा ले जाने का आरोप है। अभियुक्त का यह अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह पुनः समान प्रकृति का अपराध कारित करेगा और साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. **प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि** आवेदक/अभियुक्त पर आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा उर्मिला देवा को बहला–फुसला कर भगा ले जाने का आरोप है। पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व अपने बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बी.एन.एस.एस. में परस्पर विरोधाभाषी कथन किये गये हैं। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता बालिग है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। विचारण में अभी समय लग सकता है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्वाधिकारी द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक–12.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये अभियुक्त का मामला जमानत के लिए उपयुक्त है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थी/अभियुक्त **कुलदीप** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०–34/2025, धारा–137(2), 87, 123 बी.एन.एस.,थाना–पट्टी, जिला–प्रतापगढ़ में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मुबलिग **पचास हजार रूपये** का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि का दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO (क्रिमिनल) संख्या–4/2021 में पारित आदेश दिनांकित 31.01.2023 व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी CL– 07/ Admin 'G–II' दिनांकित 14.03.2023 के अनुपालन में आदेश की सॉफ्ट प्रति जेल अधीक्षक, कारागार, प्रतापगढ़ को जरिये ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाये कि आदेश का इंद्राज e–Prison Software में करें और जमानतनामें दाखिल न किये जाने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

दिनाँक–08.07.2026

(अंकिता दुबे)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(ई.सी.एक्ट),
प्रतापगढ़।